



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102021-230371  
CG-DL-E-12102021-230371

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 12, 2021/ आश्विन 20, 1943

No. 586]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 12, 2021/ ASVINA 20, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2021

सा.का.नि. 728(अ).— मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 439(अ), तारीख 28 जून, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, उन सभी प्रभावित व्यक्तियों से, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को 28 जून, 2021 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (पचीसवाँ संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 115 में,—

(i) उप-नियम (18) के खंड (i) में, सारणी 2 के पश्चात् टिप्पणों में, -

(क) क्रम संख्यांक (21) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(21) ई12 या ई15 या ई20 या ई85 या ई100 के इथेनॉल मिश्रण के स्तर के लिए यान की अनुकूलता को यान निर्माता द्वारा परिभाषित किया जाएगा और इसे स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला स्टिकर यान पर लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा।";

(ख) क्रम संख्यांक (21) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(22) द्वि-ईंधन यानों के लिए, रेफरेंस गैसोलीन ईंधन विनिर्माता द्वारा अनुमोदन के दौरान घोषित ई-5 या ई 12 या ई 15 के अनुसार होगा।"

(ii) उप-नियम (19) के खंड (i) में, -

(1) सारणी 2 में, 'एकल ईंधन', 'द्वि ईंधन', 'फ्लेक्स ईंधन' से संबंधित स्तंभ में, "(ई5)", कोष्ठकों, अक्षर और अंक के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "(ई5)/(ई10)", कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(2) सारणी 2 के पश्चात्, टिप्पणों में -

(क) क्रम संख्यांक (4) में, 'मद (क)' के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"विनिर्माता द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रेफरेंस गैसोलीन ईंधन (ई5) या (ई10), क्रमशः उपाबंध 4-X या उपाबंध 4-XA में यथाविनिर्दिष्ट होगा।"

(ख) क्रम संख्यांक (15) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(15) ई12 या ई15 या ई20 या ई85 या ई100 के इथेनॉल मिश्रण के स्तर के लिए यान की अनुकूलता को यान निर्माता द्वारा परिभाषित किया जाएगा और इसे स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला स्टिकर यान पर लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा।";

(ग) क्रम संख्यांक (15) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(16) द्वि-ईंधन यानों के लिए, रेफरेंस गैसोलीन ईंधन विनिर्माता द्वारा अनुमोदन के दौरान घोषित ई-5 या ई10 या ई 12 या ई 15 के अनुसार होगा।"

(iii) उप नियम (20) में, -

(1) सारणी 2 में, 'द्वि ईंधन/फ्लेक्स ईंधन' से संबंधित स्तंभ में, "(ई5)", कोष्ठकों, अक्षर और अंक के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "(ई5)/(ई10)", कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(2) सारणी 2 के पश्चात्, टिप्पणों में -

(क) क्रम संख्यांक (4) में, 'मद (क)' के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(i) विनिर्माता द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रेफरेंस गैसोलीन ईंधन (ई5) या (ई10), क्रमशः उपाबंध 4-X या उपाबंध 4-XA में यथाविनिर्दिष्ट होगा।

(ii) रेफरेंस एथनोल ईंधन (ई85) उपाबंध 4-थ के अनुसार होगा";

(ख) क्रम संख्यांक (15) के पश्चात्, क्रम संख्यांक 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, -

"(16) ई12 या ई15 या ई20 या ई85 या ई100 के इथेनॉल मिश्रण के स्तर के लिए यान की अनुकूलता को यान निर्माता द्वारा परिभाषित किया जाएगा और इसे स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला स्टिकर यान पर लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा।";

"(17) द्वि-ईंधन यानों के लिए, रेफरेंस गैसोलीन ईंधन विनिर्माता द्वारा अनुमोदन के दौरान घोषित ई-5 या ई10 या ई 12 या ई 15 के अनुसार होगा।"

(iv) उप-नियम (22) में, -

(1) सारणी 2 में, 'एकल ईंधन', 'द्वि ईंधन', 'फ्लेक्स ईंधन' से संबंधित स्तंभ में, "(ई5)", कोष्ठकों, अक्षर और अंक के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "(ई5)/(ई10)", कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(2) सारणी 2 के पश्चात्, टिप्पणों में, -

(क) क्रम संख्यांक (7) में, 'मद (क)' के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(i) विनिर्माता द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रेफरेंस गैसोलीन ईंधन (ई5) या (ई10), क्रमशः उपाबंध 4-X या उपाबंध 4-XA में यथाविनिर्दिष्ट होगा।"

(ख) क्रम संख्यांक (15) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, -

"15. ई12 या ई15 या ई20 या ई85 या ई100 के इथेनॉल मिश्रण के स्तर के लिए यान की अनुकूलता को यान निर्माता द्वारा परिभाषित किया जाएगा और इसे स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला स्टिकर यान पर लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा;

(16) द्वि-ईंधन यानों के लिए, रेफरेंस गैसोलीन ईंधन विनिर्माता द्वारा अनुमोदन के दौरान घोषित ई-5 या ई10 या ई 12 या ई 15 के अनुसार होगा।"

3. उक्त नियमों के नियम 115-छ के उपनियम (2) में, "टैप-115/116", शब्द, अंकों और चिन्ह के पश्चात्, "एआईएस137", शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 115-ट के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**"115-ठ. ई-12 (12% इथेनॉल-गैसोलीन मिश्रण) और ई-15 (15% इथेनॉल-गैसोलीन मिश्रण) यानों के लिए बड़े पैमाने पर उत्सर्जन मानका**

(1) ई -12 और ई -15 के इथेनॉल गैसोलीन मिश्रणों से चलाने के लिए स्पार्क इग्निशन इंजन वाले नए निर्मित गैसोलीन यानों के प्रकार को प्रचलित गैसोलीन उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा। "

(2) ई12 और ई15 के इथेनॉल मिश्रण के स्तर के लिए यान की अनुकूलता को यान निर्माता द्वारा परिभाषित किया जाएगा और इसे स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला स्टिकर यान पर लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा।

(3) टाइप अनुमोदन परीक्षण के लिए परीक्षण अपेक्षाएं नीचे दी गई सारणी के अनुसार होंगी:

## सारणी 1

सीएमवीआर अनुपालन हेतु 3,500 किलोग्राम से कम या उसके बराबर के सकल यान भार वाले चार पहिया यान के लिए परीक्षण अपेक्षाएं

क्र.सं.	परीक्षण	गैसोलीन इथेनॉल मिश्रण यान
1	गैसीय प्रदूषक (टाइप I परीक्षण)	ई 12 या ई 15 ईंधन
2	निष्क्रिय और उच्च निष्क्रिय उत्सर्जन (टाइप II परीक्षण)	ई 12 या ई 15 ईंधन
3	क्रैंककेस उत्सर्जन (टाइप III परीक्षण)	केवल गैसोलीन ईंधन पर
4	बाष्पीकरणीय उत्सर्जन (टाइप IV परीक्षण)	केवल गैसोलीन ईंधन पर
5	टिकाऊपन (टाइप V परीक्षण)	केवल गैसोलीन ईंधन पर
6	गतिमान स्थिति में अनुरूपता	केवल गैसोलीन ईंधन पर
7	कार्बन डाईऑक्साइड और ईंधन की खपत	ई 12 या ई 15 ईंधन
8	ऑनबोर्ड जांच (ओबीडी I या II) जैसा लागू हो और इस्तेमाल के दौरान प्रदर्शन अनुपात निगरानी (आईयूपीआरएम)	ई 12 या ई 15 ईंधन
9	इंजन की शक्ति	ई 12 या ई 15 ईंधन

## टिप्पण-

1. सीएमवीआर अनुपालन के लिए उत्सर्जन परीक्षण, जैसा लागू हो और समय-समय पर संशोधित एआईएस 137 के अनुसार किया जाएगा।
2. सीएमवीआर अनुपालन के लिए यान विनिर्माता नियम 126 के अधीन निर्दिष्ट परीक्षण अभिकरणों को यान सौंपेंगे।
3. खराब होने वाले कारक यान प्रवर्ग के लिए यथा अधिसूचित प्रचलित उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार होंगे।
4. जब तक बीआईएस द्वारा ई -12 और ई -15 के लिए गैसोलीन इथेनॉल ईंधन मिश्रण को अधिसूचित नहीं किया जाता है, तब तक सीएमवीआर अनुपालन के प्रयोजनार्थ आईएस 17586: 2021 के अनुसार ई -12 और ई -15 के लिए वाणिज्यिक गैसोलीन इथेनॉल ईंधन मिश्रण ईंधन का इस्तेमाल किया जाएगा।
5. गैसोलीन रेफरेंस ईंधन यान प्रवर्ग के लिए यथा अधिसूचित होगा।
6. खराब होने वाले कारक यान प्रवर्ग के लिए यथा अधिसूचित प्रचलित उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार होंगे।

## सारणी 2

सीएमवीआर अनुपालन हेतु दो पहिया यानों या तीन पहिया यानों या क्वाड्रीसाइकल के लिए परीक्षण अपेक्षाएं

क्र.सं.	परीक्षण	गैसोलीन इथेनॉल मिश्रण यान
1	गैसीय प्रदूषक (टाइप I परीक्षण)	ई 12 या ई 15 ईंधन
2	निष्क्रिय और उच्च निष्क्रिय उत्सर्जन (टाइप II परीक्षण)	ई 12 या ई 15 ईंधन
3	क्रैंककेस उत्सर्जन (टाइप III परीक्षण)	केवल गैसोलीन ईंधन पर
4	बाष्पीकरणीय उत्सर्जन (टाइप IV परीक्षण)	केवल गैसोलीन ईंधन पर
5	टिकाऊपन (टाइप V परीक्षण)	केवल गैसोलीन ईंधन पर

6	कार्बन डाईऑक्साइड और ईंधन की खपत	ई 12 या ई 15 ईंधन
7	ऑनबोर्ड जांच (ओबीडी I या II ) और आईयूपीआरएम, जैसे लागू हो	ई 12 या ई 15 ईंधन
8	इंजन की शक्ति	ई 12 या ई 15 ईंधन

टिप्पण-

1. सीएमवीआर अनुपालन के लिए उत्सर्जन परीक्षण, जैसा लागू हो और समय-समय पर संशोधित एआईएस 137 के अनुसार किया जाएगा।
2. सीएमवीआर अनुपालन के लिए यान विनिर्माता नियम 126 के अधीन निर्दिष्ट परीक्षण अभिकरणों को यान सौंपेंगे।
3. खराब होने वाले कारक यान प्रवर्ग के लिए यथा अधिसूचित प्रचलित उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार होंगे।
4. जब तक बीआईएस द्वारा ई -12 और ई -15 के लिए गैसोलीन इथेनॉल ईंधन मिश्रण को अधिसूचित नहीं किया जाता है, तब तक सीएमवीआर अनुपालन के प्रयोजनार्थ आईएस 17586: 2021 के अनुसार ई -12 और ई -15 के लिए वाणिज्यिक गैसोलीन इथेनॉल ईंधन मिश्रण ईंधन का इस्तेमाल किया जाएगा। गैसोलीन रेफरेंस ईंधन यान प्रवर्ग के लिए यथा अधिसूचित होगा।
5. खराब होने वाले कारक यान प्रवर्ग के लिए यथा अधिसूचित प्रचलित उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार होंगे।”

[फा. सं. आरटी-11036/111/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

**नोट :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा. का. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 720(अ.) तारीख 5 अक्टूबर, 2021 द्वारा किया गया था।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2021

**G.S.R 728E).**—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 439(E) dated the 28<sup>th</sup> June, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 28<sup>th</sup> June, 2021;

AND whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules were considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called as Central Motor Vehicles (Twenty Fifth Amendment) Rules, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Central Motor Vehicle Rules, 1989 (herein after referred to as said rules), in rule 115,-

(i) in sub-rule (18), in clause (i), after 'Table 2', in the 'Notes',-

(a) for serial number (21) and the entries relating thereto, the following item shall be substituted, namely.-

“(21) The compatibility of vehicle to level of ethanol blend of E12 or E15 or E20 or E85 or E100 shall be defined by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on vehicle by putting a clearly visible sticker”;

(b) after serial number (21), the following shall be inserted, namely:-

“(22) For the bi-Fuel vehicles, the Reference Gasoline fuel shall be as per E5 or E10 or E12 or E15 as declared by the manufacturer during approval.”

(ii) in sub-rule (19), in clause (i),-

(1) in 'TABLE 2', in column relating to 'Mono-Fuel', 'Bi-Fuel', 'Flex-Fuel', for the brackets, letter and figure "(E5)", wherever they occur, the brackets, letters and figures "(E5)/(E10)" shall be substituted;

(2) after 'TABLE 2', in the 'Notes',

(a) in serial number (4), for 'item (a)', the following shall be substituted, namely.-

“The reference Gasoline fuels (E5) or (E10), as specified by the manufacturer, shall be as specified in Annexure IV-X or Annexure IV-XA, respectively.”;

(b) for serial number (15), the following shall be substituted, namely.-

“(15) The compatibility of vehicle to level of ethanol blend of E12 or E15 or E20 or E85 or E100 shall be defined by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on vehicle by putting a clearly visible sticker”;

(c) after serial number (15), the following shall be inserted, namely:-

“(16) For the bi-Fuel vehicles, the Reference Gasoline fuel shall be as per E5 or E10 or E12 or E15 as declared by the manufacturer during approval.”.

(iii) in sub-rule (20),-

(1) in 'TABLE 2', in column relating to Bi-Fuel/Flex-Fuel, for the brackets, letter and figure "(E5)", wherever they occur, the brackets, letters and figures "(E5)/(E10)" shall be substituted;

(2) after 'TABLE 2', in the 'Notes',

(a) in serial number (4), for 'item (a)', the following shall be substituted, namely.-

“(i) The reference Gasoline fuels (E5) or (E10), as specified by the manufacturer, shall be as specified in Annexure IV-X or Annexure IV-XA, respectively.

(ii) The reference ethanol fuel (E85) shall be as per the Annexure IV-Q”;

(b) after serial number (15), for serial number 15 and entries relating thereto, the following shall be substituted,-

“(16) The compatibility of vehicle to level of ethanol blend of E12 or E15 or E20 or E85 or E100 shall be defined by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on vehicle by putting a clearly visible sticker;

(17) For the bi-Fuel vehicles, the Reference Gasoline fuel shall be as E5 or E10 or E12 or E15 as declared by the manufacturer during approval.”.

(iv) in sub-rule (22),-

(1) in the 'TABLE 2', in column relating to 'Mono-Fuel', 'Bi-Fuel' and 'Flex-Fuel' for the brackets, letter and figure "(E5)", wherever they occur, the brackets, letters and figures "(E5)/(E10)" shall be substituted;

(2) after 'TABLE 2', in the 'Notes',-

(a) in serial number (7), for 'item (a)', the following item shall be substituted, namely.-

“The reference Gasoline fuels (E5) or (E10), as specified by the manufacturer, shall be as specified in Annexure IV-X or Annexure IV-XA, respectively.”

(b) for serial number (15), the following item shall be substituted, namely.-

“15. The compatibility of vehicle to level of ethanol blend of E12 or E15 or E20 or E85 or E100 shall be defined by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on vehicle by putting a clearly visible sticker;

(16) For the bi-Fuel vehicles, the Reference Gasoline fuel shall be as per E5 or E10 or E12 or E15 as declared by the manufacturer during approval.”.

3. In the said rule, in rule 115-G, in sub-rule 2, after the words, figures and punctuation, “TAP-115/116”, the words and figures, “ AIS 137” shall be inserted.

4. In the said rule, after rule 115-K, the following rule shall be inserted, namely:-

**“115-L. Mass emission standard for E12 (12 % Ethanol-Gasoline Blend) and E15 (15 % Ethanol-Gasoline Blend) vehicles.**

(1) The newly manufactured gasoline vehicles fitted with spark ignition engine compatible to run on ethanol gasoline blends of E12 and E15 shall be type approved as per prevailing gasoline emission norms.”

(2) The compatibility of vehicle to level of ethanol blend of E12 and E15 shall be defined by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on vehicle by putting a clearly visible sticker.

(3) Test requirements for Type Approval test shall be as per Table below:

**Table 1**

**Test requirements for CMVR compliance for**

**four wheeled vehicles with Gross Vehicle Weight less than or equal to 3,500 kg**

Sr. No.	Test	Gasoline ethanol blend vehicle
1	Gaseous pollutants (Type I test)	E12 or E15 fuel
2	Idle and high idle emission (Type II test)	E12 or E15 fuel
3	Crankcase emission (Type III test)	Only on Gasoline Fuel
4	Evaporative emissions (Type IV test)	Only on Gasoline Fuel
5	Durability (Type V test)	Only on Gasoline Fuel
6	In Service Conformity	Only on Gasoline Fuel
7	CO2 & Fuel Consumption	E12 or E15 fuel
8	Onboard diagnostics (OBD I or II ) as applicable and In-use performance ratio monitoring(IUPRM)	E12 or E15 fuel
9	Engine Power	E12 or E15 fuel

**Notes:-**

- (1) Emission tests for CMVR compliance, shall be carried out as per AIS 137 as applicable and as amended from time to time.
- (2) Vehicles manufacturer shall submit the vehicle to the Test Agencies referred under rule 126, for CMVR compliance.
- (3) Deterioration factors shall be as per prevailing emission norms, as notified for the vehicle category.
- (4) Till the time reference gasoline ethanol fuel blend for E12 and E15 is notified by BIS, commercial gasoline ethanol fuel blend fuel for E12 and E15, as per IS 17586: 2021, shall be used for the purpose of CMVR compliance.
- (5) Gasoline Reference Fuel shall be as notified for the vehicle category.
- (6) Deterioration factors shall be as per prevailing emission norms, as notified for the vehicle category.

**Table 2****Test requirements for CMVR compliance for  
two wheeled vehicles or three wheeled vehicles or Quadricycle**

Sr. No.	Test	Gasoline ethanol blend vehicle
1	Gaseous pollutants (Type I test)	E12 or E15 fuel
2	Idle and high idle emission (Type II test)	E12 or E15 fuel
3	Crankcase emission (Type III test)	Only on Gasoline Fuel
4	Evaporative emissions (Type IV test)	Only on Gasoline Fuel
5	Durability (Type V test)	Only on Gasoline Fuel
6	CO <sub>2</sub> & Fuel Consumption	E12 or E15 fuel
7	Onboard diagnostics (OBD I or II) and IUPRM as applicable	E12 or E15 fuel
8	Engine Power	E12 or E15 fuel

## Notes-

1. Emission tests for CMVR compliance, shall be carried out as per AIS 137 as applicable and as amended from time to time.
2. Vehicles manufacturer shall submit the vehicle to the Test Agencies referred under rule 126, for CMVR compliance.
3. Deterioration factors shall be as per prevailing emission norms, as notified for the vehicle category.
4. Till the time reference gasoline ethanol fuel blend for E12 and E15 is notified by BIS, commercial gasoline ethanol fuel blend fuel for E12 and E15, as per IS 17586: 2021, shall be used for the purpose of CMVR compliance. Gasoline Reference Fuel shall be as notified for the vehicle category.
5. Deterioration factors shall be as per prevailing emission norms, as notified for the vehicle category.”

[F. No. RT-11036/111/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2<sup>nd</sup> June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. 720(E), dated the 5<sup>th</sup> October, 2021.